HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 18319/2026
CNR: RJHC021105612026 | URN: CRLMB / 33608U / 2026

Chetan Alias Rishiraj Singh S/o Shri Bhairu Singh, R/o Village Chavandiya, Tehsil Makrana, District Kuchaman Didwana Presently Residing At Hanumant Nagar, Gokulpura, Plot No. 121, Jhotwada, Jaipur (Presently Confined To Central Jail-Udaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Jaideep Singh
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

19/11/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत पुलिस थाना लालकोठी, जिला–जयपुर शहर पूर्व में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 130/2026 अपराध अंतर्गत धारा 308(5), 111(2)(बी), 351(3) भारतीय न्याय संहिता में अन्तरिम जमानत की प्रार्थना के साथ प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई।

बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांक 26.11.2026 को प्रार्थी–अभियुक्त का विवाह होना है। उनका तर्क है कि उक्त प्रकरण संस्थित होने के दौरान प्रार्थी जिस सैशन प्रकरण संख्या 02/2021 में कारावास का दण्ड भुगत रहा था, उस प्रकरण में जिला कलक्टर द्वारा उसे दिनांक 21.11.2026 से 05.12.2026 तक के लिए 15 दिवस की पैरोल स्वीकृत की गई है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी–अभियुक्त को अंतरिम जमानत की सुविधा दिये जाने की प्रार्थना की गई।

अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश होने पर न्यायालय द्वारा विद्वान लोक अभियोजक को प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं शादी के क्रम में सत्यापन कराने हेतु निर्देशित किया गया।

विद्वान लोक अभियोजक की ओर से प्रार्थी के विवाह के संबंध में सत्यापन रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल तथ्यात्मक स्थिति प्रस्तुत नहीं हुई है। सत्यापन रिपोर्ट में प्रार्थी का विवाह दिनांक 26.11.2026 को होना तथा जिला कलक्टर द्वारा उसे 15 दिवस की पैरोल स्वीकृत करना आया है।

इस प्रकार अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्रों में अंकित तथ्यों एवं विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में प्रार्थी को अपनी स्वयं की शादी होने के क्रम में **दिनांक 21.11.2026 से 05.12.2026 तक कुल 15 दिवस** के लिये अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद एक लाख रूपये का बंधपत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानतें इन शर्तों के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे कि वह अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के पश्चात दिनांक **06.12.2026** को **प्रातः 10:00 एएम तक** स्वयं संबंधित कारागृह में उपस्थित होकर समर्पण कर देगा तो उसे तब तक अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए। प्रार्थी द्वारा निर्धारित तिथि तक समर्पण नहीं किये जाने पर संबंधित कारागृह के सक्षम अधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय/इस न्यायालय को अविलम्ब सूचित किया जाएगा।

(SHUBHA MEHTA),J

Crt_9/D-A/94/VISHAL SHARMA